फर्द अहकाम (नियम 26)

राजस्व वाद संख्या :— 100/2020 अनवान :— सावित्रीदेवी आदि बनाम रानीदेवी आदि

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

31.07.2024 उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित गत पेशी दिनांक 23.07.2024 को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीनीजात ने हस्तगत वाद में अंकित सेम भूमि व सेम पक्षकारो के मध्य एक राजस्व वाद संख्या 632/2013 इसी न्यायालय में पेश किया था। दावा चलने के दौरान प्रार्थीगण ने दिनांक 19.02.2014 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. न्यायालय में प्रस्तुत कर दावा विड्रा कर न्यायालय की अनुमति से नया वाद पेश करने की अनुमति चाही थी।

उक्त वाद संख्या 632/2013 दिनांक 19.02.2014 को प्रार्थना पत्र वादीनीजात अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. न्यायालय ने स्वीकार कर प्रकरण संख्या 632/2013 को दाखिल दफ्तर कर दिया। चित्रित प्रति आदेश तालिका दिनांक 19.02.2014 पेश है।

पूर्व के वाद को विड्रा करने के प्रार्थना पत्र में वादीनीजात ने कही भी अंकित नहीं किया कि पूर्व के वाद में क्या कानूनी कमी रह गई जिस कारण वादीनीजात को अनुमति लेकर नया वाद पेश करने की इजाजत चाही गई है। कोई भी आधार विड्रा प्रार्थना पत्र में अंकित **नहीं** किये गये है।

वादीनीजात ने पूर्व के वाद को ही as it was and as it's पुनः पेश कर दिया है चूंकि नया वाद पेश करने से cause of action पूर्व के वाद के same suit के अभिकथन होने से वादीनीजात को cause of action पूर्व के वाद से ही निरन्तर चला आ रहा था व नया cause of action वादीनी को प्राप्त नहीं हो सकता है। पूर्व के वाद संख्या 632/2013 की चरण संख्या 24 में व हस्तगत वाद की चरण संख्या 28 में cause of action का पूर्व के दावा की चरण संख्या 24 का सेम रिपीटीसन है। वादीनीजात को दावा का cause of action था, कोई नया वाद कारण व किन आधारो पर पैदा हुआ, दावा में अंकित नही है।

वादीनीजात ने पूर्व के वाद में किये गये कथनो को ही नये हस्तगत वाद में रिपीट किया है। कोई भी नया तथ्य या विधिक कमी पश्चातवर्ती वाद में अंकित नही है।

बहस के लिये पूर्व के वाद को निरंतर चले आ रहे वादीनीजात को काज ऑफ एक्सन को निरन्तर न समझा जावे तो भी वादीनीजात को दावा विड्राल दिनांक 19.02.2014 से काज आफॅ एक्सन नया वाद प्रस्तुत करने बावत हासिल हो गया था जिसका भली भांति ज्ञान वादीनीजात को है, व था व दिनांक 19.02.2014 से नया वाद पेश करने की अवधि शुरू हो चुकी थी, लेकिन दिनांक 19.02.2014 से लेकर माह मार्च 2020 तक अर्थात 6 वर्ष की अवधि तक हस्तगत वाद पेश नहीं किया। वादीनीजात का वाद का काज ऑफ एक्सन तथा दावा पेश करने की मियाद पूर्व के वाद से निरंतर व दिनांक 19.02.2014 से शुरू होने के कारण व 6 वर्ष की अवधि में वादीनीजात ने मुताबिक आदेश दिनांक 12.02.2014 नया हस्तगत वाद पेश करने की प्रार्थना–पत्र विड्राल आर्डर के बाद 6 वर्ष अवधि व्यतीत होने के बाद पेश करने से दावा अवधि बाधित [illegible] है। वादीनीजात ने अपना वाद विधिक सीमा अवधि में वाद [illegible] न[illegible] किया है जो दावा वादीनीजात अवधि बाधित होने से न्यायालय के [illegible]कार व विचाराधीन में नहीं है। वादीगण ने नियत अवधि में वाद [illegible] नहीं करने का कोई अभिवचन, कि उन्हें नया वाद कारण किस आधार पर व कैसे प्राप्त हुये है, भी अपने वाद में अंकन नहीं किया है। हस्त[illegible] वाद प्रस्तुत करने की विधिक अवधि व्यतीत होने से दावा टाईम बार्ड होने से नाकाबिल चलने योग्य है।

वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वाद वादीनीजात अवधिपार व विधिक समयावधिक में पेश नही होने व नया वाद कारण हासिल नहीं होने से वाद वादीनीजात आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.03 14:04:16 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में वादी/अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 कतई गलत अंकित की है, स्वीकार नही। क्योकि वादीया द्वारा पूर्व का वाद 632/2013 माननीय न्यायालय की अनुमति के साथ विड्रा किया गया था व नया दावा पेश करने के साथ नया दावा पेश करने की अनुमति चाही गई थी।	

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 का यह तथ्य कतई गलत अंकित किया है कि वादीगण को कोई वाद कारण हासिल नही था जिस समय पूर्व का वाद विड्रा किया गया उस समय वादीगण द्वारा न्यायालय की अनुमति से नया वाद पेश करने की अनुमति चाही गई थी। इसलिए प्रतिवादीगण का यह कथन कतई गलत है कि वादीगण को कोई वाद कारण हासिल न हो।

वादीगण को नया वाद के समय ही नया वादकारण उत्पन्न होने के कारण ही नया वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण अपने वाद के मालिक है किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है स्वीकार नही। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र ना चलने के काबिल है, वादीगण का वाद घोषणा का है। घोषणा का वाद माननीय न्यायालय में कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वादीगण का वाद अवधि बाधित नही है। वादीगण द्वारा पूर्व का वाद 632/2013 माननीय न्यायालय की अनुमति के साथ नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ विड्रा किया गया था। वादीगण का वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

वादीगण को वाद कारण उत्पन्न होने के कारण ही नया वाद पेश किया गया है। विधिक बिन्दू साक्ष्य से ही तय किये जा सकते है। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. खारीज होने योग्य है। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

समायत बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि अनवान सदर से संबधित आराजी का पूर्व मे एक वाद संख्या 632/2013 न्यायालय हाजा में विचाराधीन था जो वादीयागण द्वारा नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ दिनांक 19.02.2014 को प्रत्याहृत किया गया एवं अनवान सदर वाद संख्या 100/2020 में वर्णित आराजी एवं पक्षकारान से संबधित पहले से ही एक वाद संख्या 213/2012 बअनवानी इशान्त बनाम निराणी वगैरह न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित तीनों वादों में वादीगण द्वारा same पक्षकारान के विरूद्व same अनुतोष चाहा गया है इसलिए वादी को नया वाद प्रस्तुत करने का कोई भिन्न वादकारण हासिल नहीं होता है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद [illegible]0/2020 अनवान सावित्रीदेवी आदि बनाम रानीदेवी उर्फ निरा[illegible]वी [illegible]ह. अन्तर्गत धारा 88, 53, 183, 188 आर.टी.ए. मय राजस्व प्रार्थना [illegible] संख्या 014/2020 को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। म[illegible] नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा [illegible]खाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.03 14:04:16 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी।